Jai Maa Saraswati Gyandayini ISSN: 2454-8367
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Accessed & Indexed)
Web: www.jmsjournals.in Email: jmsjournals.in@gmail.com
Impact Factor : 4.032 (IIJIF)
Vol. 2, Issue-IV
April 2017
e-ISJN: A4372-3118

भारत में निर्वाचन व्यवस्था में सुधारो की विवेचना

डॉ. प्रेम कुमार सागर
(राजनीति शास्त्र)
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म0प्र0)

हाल ही मे हुए पॉच राज्य (उ.प्र., पंजाब, मणिपुर, गोवा, झारखण्ड) के चुनाव के बाद निर्वाचन आयोग की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग गया, जब भाजपा को उ.प्र. में प्रचन्ड बहुमत मिला तो विपक्षी पार्टीओं ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया मे धांधली की गई है। सामन्यताः चुनाव नतीजे के बाद आरोप प्रत्यारोप की खबरे आम होती है। गौरतलब है संविधान के अनुच्छेद 324(1) में संसद एवं राज्यो के संविधान मण्डलो के साथ–साथ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदो के निर्वाचनो के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और चुनाव की समस्त प्रक्रिया अधीक्षण यंत्री, निर्देशन, नियंत्रण का कार्य चुनाव आयोग का सौंपा गया है।

भारत जैसे विशाल देश जिसमें कई विविधताओं का मत है कि चुनाव को बिना किसी भेदभाव के शान्तीपूर्ण दंग से निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराना कोई साधारण कार्य नही है। ऐसे में अगर विगत 65 वर्षो से देशभर में सफलतापूर्वक निर्वाचन संपन्न कराने में निर्वाचन आयोग की भूमिका की सराहना की जाये तो कोई अतिश्योक्ति नही होगी। इसीलिये स्वतंत्रता के वाद से ही निर्वाचन आयोग अपनी दक्षता को उन्नत करने के लिए विभिन्न सुधारवादी कदम उठाता रहा है। जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया में सूचना प्रौधोगिकी को सलग्न करने जैसे विभिन्न कार्य शामिल है।

निर्वाचन आयोग का संक्षिप्त परिचयः–

निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य आयुक्त होगें जितने राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, शामिल होगे वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित कुल तीन सदस्य है। निर्वाचन आयुक्त एक प्रादेशिक आयुक्तो की सेवा शर्ते और पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्षो या 65 वर्ष की आयु तक होता है।

वर्तमान में निर्वाचन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने समय–समय पर अनेक प्रयास किये है।

चुनाव सुधार हेतु कई समितियां बनी (तारकुण्डे समिति, इन्द्रजीत गुप्ता, दिनेश गोस्वामी, समिति) जिनके द्वारा सुधार हेतु कई सुझाव दिये जो निम्न है।

Jai Maa Saraswati Gyandayini ISSN: 2454-8367
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Accessed & Indexed)
Web: www.jmsjournals.in Email: jmsjournals.in@gmail.com
Impact Factor : 4.032 (IIJIF)
Vol. 2, Issue-IV
April 2017
e-ISJN: A4372-3118

- राजनीतिक दलो द्वारा प्राप्त चंदे का सार्वजनिक करना चाहिए और उसको स्त्रोत बताना चाहिए।
- प्रत्येक राजनीतिक दलो का वार्षिक अंकेक्षण होना चाहिए।
- एक प्रत्याशी का दो निर्वाचन क्षेत्रो से चुनाव लड़ने पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाये।
- संसद व विधायको के लिए निर्धारित खर्च राशी का पालन सख्ती से लागू किया जाये आदि।

वर्तमान में चुनाव सुधार हेतु किये प्रयास किये।

- वर्ष 1999 से डाक मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा प्रदान की गई।
- 2003 से उम्मीदवारो को अपने खिलाफ चल रहे अदालती मामलो, संपत्ति का विवरण, शैक्षणिक योग्यता के बारे में विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है।
- चुनाव प्रचार की अवधि मे कमी की गई– नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि और मतदान की तिथि के बीच का न्यूनतम अंतराल 20 दिनो से घटकर 14 दिन कर दिया गया।

संविधान में प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर है उसको मतदान करने का अधिकार है चाहे उसका धर्म, लिंग या जन्म स्थान कोई भी हो, निर्वाचन प्रक्रिया का पारदर्शिता बनाये रखने के मतदान पहचान पत्र मतदान की फोटो की व्यवस्था की गई है। चुनावो में गडबडी रोकने के (Electronic voting Machine EVM) का प्रचलन 1998 से विभिन्न राज्या में हुए विधानसभा चुनावो के दौरान 16 विधानसभा क्षेत्रो मे प्रारम्भ किया गया जिससे ज्यादा सुरक्षित मतदान हो सकें। क्योकि एक EVM मशीन में 3840 मत ही रिकार्ड किये जा सकते है। साथ ही एक मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या सामान्यतः 15000 से अधिक नही होती है। किसी कारण से मतदान मशीन खराब भी हो जाती है तो केन्द्र पर अतिरिक्त EVM की व्यवस्था रहती है। अतः दुबारा से मतदान की आवश्यकता नही पड़ती है।

इसके आलावा, निर्वाचन आयोग ने वी.वी.पी.ए.टी. (Voter Verified Paper Audit Trail) नामक एक तकनीक भी अपनाई है इस तकनीक की सहायता से मतदाता को यह जानकारी मिल जाती है। कि उसका दिया गया मत बैध था उसकी एक स्लिप उम्मीदवार को मिलती है जिसमें उसने किस उम्मीदवार को अपना मत दिया है।

यदि किसी मतदाताओ को कोई उम्मीदवार पसंद नही है तो भी वह अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने EVM मशीन में (None of the above- NOTA) के विकल्प की व्यावस्था 2015 से की गई है नोटा' का परोक्ष उद्देश्य यह है कि राजनीतिक दल साफ सुधरी छवि वाले योग्य उम्मीदवार

Jai Maa Saraswati Gyandayini ISSN: 2454-8367
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Accessed & Indexed)
Web: www.jmsjournals.in Email: jmsjournals.in@gmail.com
Impact Factor : 4.032 (IIJIF)
Vol. 2, Issue-IV
April 2017
e-ISJN: A4372-3118

को ही चुनाव में उतारे इससे मतदाता भी अपने सही प्रतिनिधि का चुनाव करने में सक्षम हो सकेगें हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार ऐसा पहला राज्य बना जहॉ अनिवासी भारतीय स्वयं उपस्थित हुए विना सेमी. इलेक्ट्रोनिक विधि से मतदान कर सकते है विहार विधानसभा चुनाव में इसकी सफलता को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने अन्य चुनावो से भी इस व्यवस्था को अपनाने की बात की।

इस विधि मे अनिवासी भारतीय मतदाता को एक पासवर्ड ई–मेल किया जाता है इसके माध्यम से मतदाता निर्वाचन आयोग की वेवसाईट से मतदान – पत्र तथा लिफाफा अनलॉक और डाउनलोड करता है इसके बाद मतदाता अपने पंसदीदा उम्मीदवार को चिन्हित करता है और इसके उपरांत यह मतदान पत्र डाक रिटर्निंग अधिकारी का भेज दिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया का एक मार्गीय है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग व्यवस्था की गुजज्ञाश भी तलाश रहा है। जिससे अनिवासी भारतीय मतदाता इलेक्ट्रानिक विधी से ही अपना मत पत्र भी रिटर्निंग अधिकारी को भेज सकेगे। इनके आलवा, इसी चुनाव में पहली वार मतदाता के मोबाईल फोन पर एक एप्लीकेशन के जरिये मतदान केन्द्र की अवस्थिति की जानकारी भी दी गई बदलते परिवेश मे सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को मद्देनजर रखते हुए विगत दिनो मुख्य चुनाव आयुक्त ने ई–विजन 2020 का विचार प्रस्तुत किया। पारदर्शी और विश्वसनीय निर्वाचन के लिए प्रौद्योगिकी के महत्वं को ध्यान मे रखकर आयोजित किये गए एक सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त आयुक्त डा. नसीम जैदी ने यह प्रस्ताव रखा। ई– विजन 2020 का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया के सभी चरणो में वहुविकल्पीय प्रदाता चैनल का उपयोग करके सभी हितकारको तक समावेशी तथा एकीकृत सेवायें प्रदान करता है इस विजन मे कुछेक प्राथमिकता वाले क्षेत्र में मोबाईल एप्लीकेशन, सोशल मीडिया, ज्ञान प्रबधंक आदि को शामिल किया है इससे जहॉ एक ओर चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आयेगी।

इसके साथ– साथ मतो की गणना के लिए निर्वाचन आयोग एक टोटलाइजर मशीन, का उपयोग करने का मन भी बना रहा है। यह मशीन मतो की गणना का और अधिक सुरक्षित कर देगी। वर्तमान में जहां प्रत्येक मतदान केन्द्र पर डाले गए मतो के परिणामो की घोषणा अलग–अलग होती है वही इस मशीन का उपयोग करके लगभग 14 मतदान केन्द्रो पर डाले गए मतो की गणना एक साथ ही की जा सकती है।

उल्लेखनीय है भारत जैसे वृहद् लोकतांत्रिक देश मे हमेशा से निष्पक्ष, पारदर्शी एव सुरक्षित निर्वाचन कराने के संकल्प की पूर्ति निर्वाचन आयोग कर रहा है परन्तु अभी हाल के कई राज्यो की विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रोनिक मशीनो की छेड़छाड़ की खबरे सामने आयी है जिससे वर्तमान में इलेक्ट्रोनिक मशीनो के सही प्रकार से उपयोग हेतु सुरक्षित मानक अपनाने होगे वोटिंग मशीनो को विश्वनीय बनना होगा तथा मतदाताओ को उम्मीदवार के द्वार किये गये लुभावने वादे पर भी रोक लगाने एवं उनको पूरा न करने पर दण्ड प्रावधानो पर भी सोचना चाहिए ताकि भारतीय निर्वाचन प्रणाली अन्य देशो के लिए आदर्श बन सके तथा भारत आदर्श

Jai Maa Saraswati Gyandayini
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Accessed & Indexed)
Web: www.jmsjournals.in Email: jmsjournals.in@gmail.com
Impact Factor : 4.032 (IIJIF)
ISSN: 2454-8367
Vol. 2, Issue-IV
April 2017
e-ISJN: A4372-3118

लोकतांत्रिक देश वन सके। साथ– साथ नागरिको मे मतदान के प्रति प्रोत्साहन तथा भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रसास करना चाहिए तभी भारतीय राजनीति परिपूर्ण होगी।

संदर्भ सूची –

1. राजेश मिश्रा (राजनीति विज्ञान –समग्र अध्ययन) गोल्डन पीकॉक पब्लिकेशन दिल्ली पृष्ठ क्र 346।
2. एम.लक्ष्मीकांत (भारत की राज्य व्यवस्था) मेग्राहिल्स पब्लिकेशन दिल्ली पृष्ठ क्र. 66.1–7।
3. सुरेन्द्र कटारिया भारतीय लोकप्रशासन दिल्ली नेश्नल पब्लिशिंग हाउस फतेहपुर पृ.क्र. 766।
4. सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन नई दिल्ली।
5. दृष्टि करेट। अफेयर टुडे मई 2016।